

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूं (जिला-जयपुर ग्रामीण)

मैकलाल बनाम लालसिंह

फर्द नम्बर :- 56/11

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
08/05/2024	<p>व. क. उम. / का. सु. प्रा. पत्र पेश करने हेतु न्यायालय में अंतिम अवेजान दिया जाता है। पत्रावली वास्तव में का. सु. प्रा. पत्र हेतु 24/06/2024 को पेश हो।</p>	
24/6/24	<p>व. क. उम. / का. सु. प्रा. पत्र पेश करने हेतु अंतिम अवेजान दिया जाकर पत्रावली दिनांक 03/7/24 को पेश हो।</p>	
03/7/24	<p>कमील वादी का. सु. प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 बमर्कित धारा 151 सी. पी. सी. सत्र धारा 5 सिद्धांत अधिनियम पेश किया गया। पत्रावली वास्तव में का. सु. प्रा. पत्र हेतु आगामी दिनांक 28/8/24 को पेश हो।</p>	
28/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। न्यायालय को समझाया कि वादी-तक कमील वादी को बार-बार अवेजान दिलायी गयी। कमील वादी न्यायालय व कलक्टर (जयपुर) के अंतः पत्रावली अवेजान धारणी-युक्त फॉर्म में न्यायालय में जाती है पत्रावली फर्द नम्बर से कर दी। दायिम दर्ज है।</p>	<p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>